



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2018/फाल्गुन 16, 1939

No. 120]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2018/PHALGUNA 16, 1939

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 208 (अ).---**केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उप-धारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) यह निधि भारत के लोक लेखा के अधीन खोली जाएगी जो गैर-व्यपगत तथा ब्याज रहित लेखा होगा तथा यह केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित होगी।”;

(3) इस निधि में अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे अथवा पूर्वोक्षण अनुज्ञापत्र-सह-खनन पट्टे के धारकों द्वारा देय दो प्रतिशत के बराबर स्वामिस्व का भुगतान समाविष्ट होगा।

(4) इस निधि का उपयोग स्कीम अर्थात् ‘निधि के अधीन क्षेत्रीय और विस्तृत खोज और संबंधित क्रियाकलापों’ के अंतर्गत खनिजों के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत खोज करने के साथ नियम 9 में यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और कार्यों के लिए किया जाएगा।”

3. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“7. निधि में अंशदान- (1) खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टाधारक, राज्य सरकार को स्वामिस्व का भुगतान करते समय ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन स्वामिस्व के दो प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करेगा जिसे वह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित शीर्ष के अधीन राज्य के लोक लेखा में जमा करेगा।

(2) राज्य सरकारें उपनियम (1) के अधीन लोक लेखा में इस प्रकार संग्रहीत रकम को भारत की संचित निधि में अंतरित करेंगी।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा, भारत की संचित निधि में की अभिवृद्धियों को, वित्तीय वर्ष में संसद् द्वारा, विधि के द्वारा, सम्यक विनियोग के पश्चात आवधिक रूप से निधि में अंतरित किया जाएगा।

(4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट रकम संग्रहीत करने तथा भारत की संचित निधि में अंतरित करने तथा इसके लिए आवश्यक लेखा-जोखा रखने का दायित्व राज्य सरकार का होगा तथा वह ऐसी प्राप्तियों को, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में किसी विशिष्ट मास में संग्रहीत धनराशि को, अगले मास के दसवें दिन के अपश्चात, भारत की संचित निधि को अंतरित करेगी।

(5) राज्य सरकार, उप नियम (1) के अधीन संग्रहीत रकम तथा उपनियम (2) के अधीन भारत की संचित निधि में अंतरित की गई रकम के बारे में भारतीय खान ब्यूरो को मासिक आधार पर सूचना प्रदान करेगी।

(6) भारतीय खान ब्यूरो, भारत की संचित निधि में अंतरित रकम का अद्यतन रिकॉर्ड के साथ-साथ रॉयल्टी भुगतानों का एक डाटाबेस रखेगा और न्यास को आवधिक आधार पर ऐसी की सूचना उपलब्ध कराएगा।”

4. उक्त नियमों में नियम 8 में, उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, न्यास का बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा और इसके बंद होने तक न्यास के बैंक खातों का सदस्य-सचिव या कार्यकारी समिति के किसी अन्य सदस्य या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से, जिसे कि कार्यकारी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, संचालन जारी रहेगा।”

5. उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (1) में ‘प्रारंभ में’ शब्दों के स्थान पर ‘प्रारंभ से पूर्व’ शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियम के नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“20. वार्षिक बजट.- (1) कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, उस विशिष्ट वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक योजना के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों पर प्रस्तावित आय और व्यय का ब्यौरा अंतर्विष्ट करते हुए वार्षिक बजट तैयार करवाएगा, जिसमें इस संबंध में निधीयन की अपेक्षाओं के ब्यौरों के साथ न्यास द्वारा उपगत किए जाने वाले प्रस्तावित विधिक, प्रशासनिक और अन्य लागतें और व्यय सम्मिलित होंगे जिसे वार्षिक बजट के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) वार्षिक बजट में निधि के अधीन व्यय करने के लिए समुचित शीर्ष के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की अनुदान मांगों के लिए भी उपबंध किया जाएगा और इसकी समतुल्य राशि निधि से पूरी की जाएगी।

(3) निधि का सम्यक विनियोग तथा सक्षम अधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात, इस निधि के अधीन व्यय सुसंगत उपप्रमुख शीर्षों अथवा गौण शीर्षों से उपगत किया जाएगा तथा केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर केंद्रीय सरकार का वेतन और लेखा कार्यालय, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के अनुसार भुगतान करेगा।”

7. उक्त नियमों के नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“21. वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन- (1) वार्षिक योजना और वार्षिक बजट को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से तीस दिन पूर्व अनुमोदन हेतु शासी निकाय के समक्ष रखा जाएगा।

(2) शासी निकाय के अनुमोदन के पश्चात् वार्षिक योजना या वार्षिक बजट में कोई संशोधन कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किया जा सकेगा और शासी निकाय को अगली बैठक में इसकी सूचना दी जाएगी।”

8. उक्त नियमों के नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“24. लेखाओं का रखा जाना और संपरीक्षा- (1) केंद्रीय सरकार का वेतन और लेखा कार्यालय, निधि में की अभिवृद्धियों और इससे होने वाले भुगतानों की ब्राडशीट रखेगा और संबंधित प्रभागों के साथ मासिक आधार पर उसका मिलान करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि निधि के अधीन किसी भी समय में कोई प्रतिकूल शेष न हो।

(2) न्यास निधि का लेखा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन होगा तथा केंद्रीय सरकार के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा भी उसकी लेखा परीक्षा की जाएगी।

[फा. सं. 11/8/2015-खान-1]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015, अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 632(अ), तारीख 14 अगस्त, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF MINES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7<sup>th</sup> March, 2018.

**G.S.R. 208(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 9C of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Mineral Exploration Trust (Amendment) Rules, 2018.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
  - “(2) The Fund shall be opened under the Public Account of India which shall be a non-lapsable and non-interest bearing account and shall be administered by the Central Government.
  - (3) The Fund shall comprise of payment of two percent equivalent of royalty payable by the holders of the mining lease or prospective licence-cum-mining lease under sub-section (4) of the section 9C of the Act.
  - (4) The Fund shall be utilized for carrying out the objects and functions as specified in rule 9, including carrying out regional and detailed exploration for minerals under the scheme, namely, ‘Regional and detailed exploration and related activities under Fund’.
3. In the said rules, for rule 7, the following rules shall be substituted, namely:—
  - “7. Contribution to Fund.— (1) The holder of mining lease or prospecting license-cum-mining lease shall, while making payment of royalty to the State Government, pay to the Trust a sum equivalent to two percent of the royalty under sub-section (4) of section 9C of the Act by depositing the same in the Public Account of the State under the Head booked for this purpose.
  - (2) The State Governments shall transfer the amount so collected in the Public Account of the State under sub-rule (1) to the Consolidated Fund of India.
  - (3) The accretions in the Consolidated Fund of India shall be periodically transferred to the Fund by the Central Government, after due appropriation made by Parliament by law, in the financial year.
  - (4) The responsibility of collecting and transferring the amount referred in sub-rule (1) to Consolidated Fund of India and maintaining necessary accounts in this behalf shall be that of the State Government and it shall transfer such receipts to the Consolidated Fund of India as early as possible and in any case, not later than the tenth day of the succeeding month in respect of the amount collected in any particular month.
  - (5) The State Government shall provide information regarding the amount collected under sub-rule (1) and the amount transferred to Consolidated Fund of India under sub-rule (2) to the Indian Bureau of Mines on a monthly basis.
  - (6) The Indian Bureau of Mines shall maintain an updated record of the amount transferred to the Consolidated Fund of India along with a database of royalty payments and provide such information to the Trust on a periodic basis.”
4. In the said rules, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The bank account of the Trust shall be closed as soon as possible after the publication of this notification and till such closure, the bank account of the Trust shall continue to be operated through the Member-Secretary or any other Member of the Executive Committee or any other officer of the Central Government as may be authorized by the Executive Committee.”.

5. In the said rules, in rule 19, in sub-rule (1), for the words “at the beginning”, the words “before the beginning” shall be substituted.

6. In the said rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:—

“20. Annual Budget.- (1) The Member Secretary of the Executive Committee shall, before the beginning of each financial year, cause preparation of an annual budget containing the details of the proposed income and expenditure on activities covered in the annual plan for that particular financial year, including the legal, administrative and other costs and expenditure proposed to be incurred by the Trust together with details of funding requirements in this regard, to be referred as the Annual Budget.

(2) Annual Budget provision shall also be made in the Demands for Grants of Central Government under appropriate Head for incurring expenditure under Fund and equivalent amount thereof shall be met from the Fund.

(3) After due appropriation of fund and receipt of sanction of the Competent Authority, the expenditure under the Fund shall be incurred from the relevant sub-major or minor heads and on the basis of the sanction issued by the Central Government, the Pay and Accounts Office of the Central Government shall make the payment as per the General Financial Rules, 2017.”.

7. In the said rules, for rule 21, the following rule shall be substituted, namely:—

“21. Approval of the Annual Plan and the Annual Budget.- (1) The annual plan and the annual budget shall be laid before the Governing Body for its approval thirty days before the beginning of each financial year.

(2) Any amendment in the annual plan or the annual budget subsequent to the approval of the Governing Body may be done with the approval of the Executive Committee and informed to the Governing Body in its next meeting.”.

8. In the said rules, for rule 24, the following rule shall be substituted, namely:—

“24. Maintenance and Audit of Accounts.- (1) The Pay and Accounts Office in the Central Government shall maintain a broadsheet of accretions to and payment from the Fund and effect reconciliation on monthly basis thereof with the concerned divisions and shall ensure that there are no adverse balances in the Fund at any point of time.

(2) The account of the Trust shall be subject to the audit by the Comptroller and Auditor General of India and also to audit by internal audit wing of the office of the Chief Controller of Accounts, in the Central Government.”.

[F. No. 11/8/2015-M.I]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note :** The National Mineral Exploration Trust Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 632 (E), dated the 14<sup>th</sup> August, 2015.